

6/5/17

पत्रावली पेश हुई वकीलवादी ने साक्षर पत्र  
पेश कि कि जाकारी देखर सिंगल फाइल डाडी 17  
को पेश हो 1/19

5/5/17

सरकार एवं श्रीमान् जिला कलेक्टर  
न्याय लोकपाल के विचार प्रकृतियों के  
न्याय आपके द्वारा पेश हो।  
दिनांक 23/6/17 को पेश हो।

RS

उप. सायब अधिकारी  
सहायक कलेक्टर सायब

23/6/17

पत्रावली आज बमुकाम ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजस्व लोदी  
अदालत न्याय आपके द्वार में पेश हुई। उभय पक्ष बावजूद मामिले  
के कोई उपस्थित नहीं आये। अतः पत्रावली वास्ते  
दिनांक 24/6/17 को पेश हो।

RS

उप. सायब अधिकारी  
सहायक कलेक्टर सायब

22/8/17

आज श्रीमान् ए.सी.एम. / एस.डी.एम.  
साहब दौरे / अवकाश पर पेश हो  
पेशी इत्तवा की जाकर पत्रावली  
तारीख 11/10/17 को पेश हो।

11/10/17

पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते इत्तवा वकील  
दौरे सिंगल फाइल डाडी 17 को पेश हो 1/19

13/11/17

आज श्रीमान् ए.सी.एम. / एस.डी.एम.  
साहब दौरे / अवकाश पर हैं।  
पेशी इत्तवा की जाकर पत्रावली  
तारीख 21/11/17 को पेश हो।

21/11/17

पत्रावली पेश हुई / वकील वादीगण उप. सायब / पत्रावली  
का अन्वय कन किना गमा / बाद अन्वय कन वादी गमा कि  
वकील वादीगण को पूर्व से कई डाकसुर किने जाने  
के बाद भी इतिहासिक को तलाशी हेतु साक्षर पेश  
नहीं किने गये है ऐसा उचित होता है कि वकील वादीगण  
वाद को चलावे में इच्छुक नहीं है, सिद्धांत ऐसी  
स्थिति में वादीगण का वाद CPC की धारा 3(5)  
के तहत खारिज किना जावा है पत्रावली पेश हो सुमार  
के दाखिल दफ्तर हो नम्बर से कम है

(सुमित्रा पारीक)  
R.A.S.